न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 88 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. राजों बेवा नेनाराम का.मु.
   1/1रतनाराम गोद पुत्र नेनाराम
   1/2लेहरों पुत्री नेनाराम पत्नी
   तेजाराम जाति जाट निवासी
   नया बाटाडू तहसील बायतु
   जिला बाड़मेर
2. मगाराम पुत्र लाभुराम
3. केहराराम पुत्र लाभुराम
4. हेमी बैवा खेमाराम जाति
   जाट निवासी नया बाटाडू
   तहसील बायतु जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.कुम्भाराम पुत्र धोंकलाराम जाति जाट निवासी नया बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर

2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बायतु

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2013 बअनवान कुम्भाराम बनाम राजो वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भंवरलाल चौधरी अपीलान्ट संख्या 1/1 व 2 से 4 की ओर से।
2. वकील श्री प्रेम प्रजापत अपीलांट संख्या 1/2 की ओर से।
3. वकील श्री नरपतसिंह चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—21.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वक्त सेटलमेंट ग्राम बाटाडू के खेत खसरा संख्या 363 रकबा 176.04 बीघा का आया हुआ था जिसका पर्चा लगान लाभु, नैना पुत्र पन्ना के नाम से जारी होकर प्रथम खतौनी बन्दोबस्त में लाभु, नैना पुत्र पन्ना जाति जाट के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज की गई। रेस्पोडेंट के पिता धोंकलाराम द्वारा सहायक कलेक्टर बाड़मेर की अदालत में वाद संख्या 184/60 अनवान धोंकला बनाम लाभु के नाम से पेश किया गया। जिसका फैसला दिनांक 19.08.1960 में हुआ जिसमें रेस्पोडेंट के पिता के नाम से रकबा 42 बीघा भूमि खातेदारी की घोषित की गई, जिस पर म्यूटेशन संख्या 553 दिनांक 01.08. 1972 रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता के नाम से भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

किया गया। वाद संख्या 184/60 में अपीलांट राजो को पक्षकार नहीं बनाया गया था जबकि राजो आवश्यक पक्षकार थी व उसके नाबालिग लड़के को पक्षकार तो बनाया परन्तु उनकी तलबी नहीं करवाई गई व कई अन्य कानूनी गलतियों के कारण अपीलांट राजो द्वारा वाद संख्या 184/60 निर्णय दिनांक 19.08.1960 रिव्यू करवाते हुए एक राजस्व वाद संख्या 65/91 अनवान राजो बनाम धोंकला का सहाय कलेक्टर(मुख्यावास) बाड़मेर की अदालत में बाद सुनवाई दिनांक 04.03.1991 को स्वीकृत किया जाकर पुनः राजस्व रेकर्ड में अपीलांटगण के नाम की (अपीलांट राजो व अपीलांट संख्या 4 क पिता लाभुराम) खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई। पुनः रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा सहायक कलेक्टर बायतु के न्यायालय में वाद संख्या 28/2013 अनवान कुम्भाराम बनाम राजो का पेश किया गया व इस वाद में रेस्पोडेंट ने वाद संख्या 65/91 के तथ्यों को छिपाते हुए वाद संख्या 184/60 का हवाला देकर, एकतरफा बिना नोटिस तामील करवाये, बिना सूचना के व बिना सुनवाई का अवसर देकर निर्णय दिनांक 14.11.2017 अपीलांटगण के विरूद्ध निर्णित की गई जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट संख्या 1/1 व 2 से 4 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट के पिता धोंकलाराम द्वारा सहायक कलेक्टर बाड़मेर की अदालत में वाद संख्या 184/60 अनवान धोंकला बनाम लाभु के नाम से पेश किया गया। जिसका फैसला दिनांक 19.08.1960 में हुआ जिसमें रेस्पोडेंट के पिता के नाम से रकबा 42 बीघा भूमि खातेदारी की घोषित की गई, जिस पर म्यूटेशन संख्या 553 दिनांक 01.08.1972 रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता के नाम से भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया गया। वाद संख्या 184/60 में अपीलांट राजो को पक्षकार नहीं बनाया गया था जबकि राजो आवश्यक पक्षकार थी व उसके नाबालिग लड़के को पक्षकार तो बनाया परन्तु उनकी तलबी नहीं करवाई गई व कई अन्य कानूनी गलतियों के कारण अपीलांट राजो द्वारा वाद संख्या 184/60 निर्णय दिनांक 19.08.1960 रिव्यू करवाते हुए एक राजस्व वाद संख्या 65/91 अनवान राजो बनाम धोंकला का सहाय कलेक्टर(मुख्यावास) बाड़मेर की अदालत में बाद सुनवाई दिनांक 04.03.1991 को स्वीकृत किया जाकर पुनः राजस्व रेकर्ड में अपीलांटगण के नाम की (अपीलांट राजो व अपीलांट संख्या 4 क पिता लाभुराम) खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई। पुनः रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा सहायक कलेक्टर बायतु के न्यायालय में वाद

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

संख्या 28/2013 अनवान कुम्भाराम बनाम राजो का पेश किया गया व इस वाद में रेस्पोडेंट ने वाद संख्या 65/91 के तथ्यों को छिपाते हुए वाद संख्या 184/60 का हवाला देकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। वाद संख्या 184/1960 को निर्णित करने से पूर्व न तो कोई साक्ष्य ली गई और न ही वादी ने अपने पक्ष में वाद को प्रमाणित करवाने बाबत् कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया। जो दसतावेज पेश किया व प्रतिवादी लाभू वगै के नाम से खातेदारी दर्ज होने का दस्तावेज था उसे भी प्रदर्शित नहीं करवाया गया था। इस कारण उसे भी पढा नहीं जा सकता। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 रेसज्यूडीकेटा के संबंध में धारा 11 पूर्व न्याय कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा, जिसमें प्रत्यक्ष और सारत विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हे पक्षकारों के बीच के या उसमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय से प्रत्यक्षत उसी सारत विवाद्य रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया हैं विचारण करने के लिये सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका हैं और अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम हस्तगत प्रकरण में जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2005(2) Page 1305
RRT 2017(2) Page 1154
RRT 2008(2) Page 991
DNJ (SC) 2018 Page 879
DNJ 2020(4) Page 940
DNJ 2019(3) (Raj.) Page 1257
RRT 2017(2) Page 1104
RRD 1998 Page 319

वकील अपीलांट संख्या 1/2 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 1/2 ने दिनांक 28.02.2022 को शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया कि "मेरी माता श्रीमती राजों को गुमराह कर रतनाराम, केहराराम, खेमाराम व मगाराम पि. लाभूराम के द्वारा यह अपील पेश की गई है। मेरी माता का देहान्त होने के बाद

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

एकमात्र मैं जीवित संतान हूं। मेरे एकमात्र भाई हरचंदराम था जिसका वर्षों पूर्व देहान्त हो चुका है। मैं अपीलाधीन आदेश वाद संख्या 28/2013 और इससे पूर्व माननीय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा जारी वाद संख्या 184/1960 निर्णय दिनांक 19.08.1960 से पूर्णतया सहमत हूं। मेरी माता ने अपने जीवनकाल में मुझे यह कभी नहीं बताया कि उसके द्वारा वाद संख्या 184/1960 की कोई अपील अथवा रिव्यू किया गया। उक्त अंकित लोगों ने गुमराह कर झूठे कागजों पर अंगुष्ठ निशान करवाकर गलत इस्तेमाल किया है। मेरी माता ने अपने जीवनकाल में सदैव यही बताया कि मैं वाद संख्या 184/1960 से पूर्णतया संतुष्ट हूं और इस वाद में किये गये निर्णय के अनुसार धोकला को दी गई 42 बीघा जमीन पर मुझे कोई एतराज नहीं है। रतनाराम के द्वारा एक जाली, कूटरचित व मिथ्या तथ्यों के आधार पर गोदनामा तैयार करवाया गया है जिसके मैने श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बाड़मेर के समक्ष गोदनामा निरस्त करवाने का एक दावा 60/2021 पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। प्रश्नगत अपील के पक्ष में नहीं हूँ बल्कि रेस्पोडेंट कुभाराम के हक व अधिकार सही है उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए इस अपील को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। अन्य सभी अपीलांट केवल मात्र मेरे हक, हकूक व मेरी माता के नाम की भूमि को प्राप्त करने के गलत इरादे से राजस्व वाद पेश कर रहे है जो निष्प्रभावी है। अपीलांट संख्या 1/2 के शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि शपथ–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि भू–प्रबंध के दौरान पैमाईश के समय इस वादी के वादग्रस्त रकबा 42 बीघा की पैमाईश प्रतिवादीगण के खेत खसरा संख्या 363 रकबा 134.04 बीघा के साथ होकर प्रतिवादीगण के खेत का रकबा 134.04 बीघा के स्थान पर 176.04 बीघा कायम कर पर्चा लगान प्रतिवादीगण के वालिदान के नाम जारी कर दिया जिसका ज्ञान वादी के पिता स्व. धोकला को नहीं रहा और न उसके कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण की ओर से कोई हस्तक्षेप हुआ। अपीलाधीन आराजी को वादी के पिता द्वारा पेश वाद संख्या 184/1960 में डिक्री कर खातेदारी में घोषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से सम्मन जारी किये बावजूद तामील एवं सूचना के जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रहे। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने का सर्वप्रथम अपीलांट को रेस्पोडेंट द्वारा खेत में आकर खेत खाली करने की धमकियें देने पर दिनांक 05.08.2018 को हुआ जिस पर अपीलांट हल्का पटवारी के पास दिनांक 06.08.2018 को गये व फिर दिनांक 07.08.2018 को न्यायालय में जाकर नकले मांगी व नकल मिलने पर यह पअील तैयार कर ज्ञान होने की तारीख से अन्दर म्याद अपील पेश की जा रही हैं तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन आराजी को लेकर वाद संख्या 184/60 में अपीलांट राजो को पक्षकार नहीं बनाया गया था जबकि राजो आवश्यक पक्षकार थी। अपीलांटस राजो द्वारा उपरोक्त वाद संख्या 184/60 में हुए निर्णय दिनांक 19.08.1960 को रिव्यू करवाते हुए एक राजस्व वाद संख्या 65/1991 अनवान राजो बनाम धोंकला सहायक कलेक्टर बाड़मेर की अदालत में पेश हुआ जिसमें दिनांक 04.03.1991 को निर्णित हुआ, जिसमें पूर्व में वाद संख्या 184/60 को खारिज करते हुए पुनः खसरा संख्या 361/1 रकबा 42 बीघा की भूमि अपीलांट के नाम से घोषित कर दी गई। इसके पश्चात पुनः रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा सहायक कलेक्टर बायतु के न्यायालय में वाद संख्या 28/2013 अनवान कुम्भाराम बनाम राजो का पेश किया गया। हस्तगत वाद में रेस्पोडेंट ने वाद संख्या 65/91

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

के तथ्यों को छिपाते हुए वाद संख्या 184/60 का हवाला देकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। हस्तगत प्रकरण के नोटिस अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। वाद संख्या 184/60, 65/91 व हस्तगत वाद संख्या 28/2013 उपरोक्त तीनों ही वादों में मूल वाद के लिए तय संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय तनकीयात कायम कर तनकी वार पारित नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2013 बअनवान कुम्भाराम बनाम राजो वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद संख्या 184/60, 65/91 व हस्तगत वाद संख्या 28/2013 उपरोक्त तीनों वादों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देते हुए बाद तनकीयात कायम कर तनकी वार बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निर्णय अधिकतम चार माह में पारित करे। उभयपक्षकारान आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर